"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 167-अ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 जुलाई 2009—आषाढ़ 31, शक 1931

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 31, 1931)

क्रमांक-6601/विधान/2009.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2009 (क्रमांक 8 सन् 2009) पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 8 सन् 2009)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2009

वित्तीय वर्ष 2009-2010 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2009 है.

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये राज्य की संचित निधि में से 13,44,05,54,700/- रुपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग एक हजार तीन सौ चवालीस करोड़, पांच लाख, चौवन हजार, सात सौ रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बाबत् वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान दिये जाने होंगे और उपयोजित की जा सकेंगे.

विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	3,61,00,100	15,08,000	3,76,08,100
03	पुलिस	राजस्व	36,00,00,200	0	36,00,00,200
05	जेल	राजस्व	8,82,01,200	0	8,82,01,200
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	10,12,75,200	0	10,12,75,200
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	6,49,02,000	0	6,49,02,000
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन .	राजस्व	2,43,93,000	0	2,43,93,000
09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	47,30,000	0	47,30,000
		पूंजी	0	66,30,000	66,30,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,18,98,000	0	1,18,98,000
13	कृषि	राजस्व	10,08,05,200	0	10,08,05,200
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	3,74,51,000	0	3,74,51,000
16	मछली पालन	राजस्व	4,20,000	0	4,20,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	13,97,20,100	0	13,97,20,100
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	2,31,46,000	0	2,31,46,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	पूंजी	1,00,000	0	1,00,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	29,10,00,100	0	29,10,00,100
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	21,72,04,000	0	21,72,04,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	37,00,000	0	37,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	0	52,00,000	52,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	48,66,75,000	0	48,66,75,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	33,31,000	0	33,31,000
36	परिवहन	राजस्व	200	0	200
38	बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व	66,84,85,000	0	66,84,85,000
		पूंजी	1,05,17,29,000	0	1,05,17,29,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	2,01,32,00,000	0	2,01,32,00,000
		पूंजी	2,25,00,00,000	0	2,25,00,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	66,08,28,900	0	66,08,28,900
		पूंजी	1,82,90,50,900	0	1,82,90,50,900

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	400	0	400
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
		पूंजी	9,45,00,000	0	9,45,00,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	300	0	300
46	विज्ञान और टेक्नालाजी	राजस्व	3,00,00,000	0	3,00,00,000
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000
		पूंजी	300	0	300
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	86,16,000	0	86,16,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	600	0	600
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	73,54,000	0	73,54,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	14,72,23,400	0	14,72,23,400
		पूंजी	54,50,00,100	0	54,50,00,100
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	1,50,000	0	1,50,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	4,65,00,000	0	4,65,00,000
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी	1,61,39,000	0	1,61,39,000
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण.	राजस्व	200	0	200
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	10,00,00,000	0	10,00,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	200	0	200
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,20,81,88,100	0	1,20,81,88,100

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	23,59,81,000	0	23,59,81,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	44,94,25,000	0	44,94,25,000
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	3,47,92,000	0	3,47,92,000
		योग - राजस्व	**7,20,31,96,600**	**67,08,000**	**7,20,99,04,600**
		पूंजी	**6,22,40,20,100**	**66,30,000**	**6,23,06,50,100**
		वृहद योग	**13,42,72,16,700**	**1,33,38,000**	**13,44,05,54,700**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किये गये अनुदानों की पूर्ति करने के लिये अपेक्षित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख : 17 जुलाई, 2009

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य).

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.